

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-108/2022- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० शाजिया नूर, तत्कालिन विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रींगा, सीतामढ़ी सम्प्रति विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री एवं प्रसूती रोग), अनुमंडलीय अस्पताल, बेलसंड, सीतामढ़ी के द्वारा दिनांक-13.11.2011 से 01.11.2012 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1089(25) दिनांक-26.06.2024 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230, 248 एवं 180 के आलोक में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है:-

- i. दिनांक-13.11.2011 से 15.11.2011 तक - कुल-03 (तीन) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
- ii दिनांक-16.11.2011 से 01.11.2012 तक - असाधारण अवकाश के रूप में।

2. इसमें आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

/ ह० /-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापंक-2/एल-108/2022- 430(2) पटना, दिनांक 21/2/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी/उपधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, बेलसंड, सीतामढ़ी/जिला कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी/डा० शाजिया नूर, तत्कालीन ट्यूटर पैथोलॉजी विभाग, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर सम्प्रति विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री एवं प्रसूती रोग), अनुमंडलीय अस्पताल, बेलसंड, सीतामढ़ी को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wahm K 21/2/26  
सरकार के उप सचिव।

2